संख्या-48/2017/682/26-32017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 31 मार्च, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में विभाग द्वारा संचालित सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार योजना के संचालन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1340/स0क0/शिक्षा-ब/अनु0प्र0पा0/2016-17 दिनांक-20.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-"2235-02-104-02-00-20 के मानक मद में बजट प्राविधान रूपया-600000 हजार (रूपये साठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष सम्भावित बचतो से अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत विभागीय प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन भत्तों से सम्बन्धित लेखाशीर्षक-2225-01-277-07-00-31 मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि **रूपया-60000 हजार (रूपये-छः करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालय, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) आदि के भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-48/2017/682/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-80- समाज कल्याण — वित्तीय वर्ष 2016-17 — (रूपये हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक-15 डिगिटल कोड में (आयोजनागत)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट में (आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2235-02-104-02-00-20 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 104-वृद्ध आशक्त तथा निः सहाय व्यक्तियों का कल्याण 02-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता 20-सहायताअनुदान-सामान्य (गैरवेतन)	600000	185600	60000	60000	540000	2225-01-277-07-00-31 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालय, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना) 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1019700	1079700	60000	60000	1079700
योग	600000	185600	60000	60000	540000		1019700	1079700	60000	60000	1079700

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है।

क. आवश्यकता के अनुसार बचत है

2. स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 मे अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

क. मानक मद में राज्य सरकार की बचनबद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3.प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0- 820 /ई-3-430 /दस-2017 दिनांक-31 मार्च, 2017

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(क्षमता प्रसाद) 24/03/17
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(राम समर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

http://shasan

पृ0संख्या- 48 /2017/682/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल ।

22/3/17

आज्ञा से,

24/3/17

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।